सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का सॉख्यिकी ब्योरा

1 परियोजना क्षेत्र की जनसांख्यिकी का विवरण –

	पुरूष	महिला	कुल
कुल जनसंख्या	1164	1159	2323
बच्चों की संख्या	270	351	621

जातिवार जनसंख्या	अ.ज.जा.	ज.जा.	अ.पि.व	अन्य
	1410	330	573	10

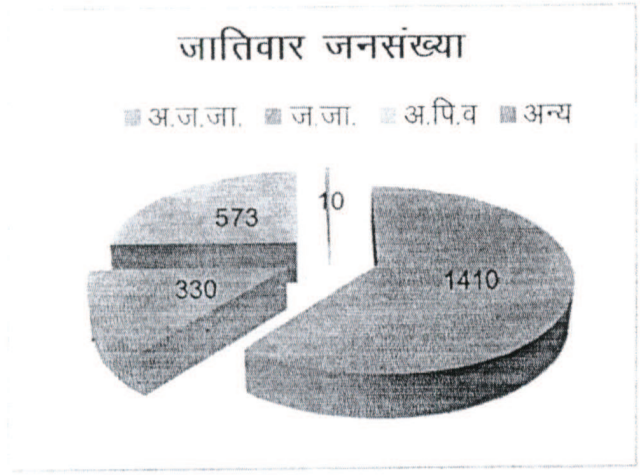

धर्मवार जनसंख्या	हिन्दू	मुस्लिम	सिक्ख	ईसाई	अन्य
	2319	00	00	04	

तहसीलदार
तहसील, जिला बदवानी (मध्यप्रदेश)

(ख) आय एवं गरीबी स्तर

नीचे दिये गये टेबल में अंकेक्षण के अनुसार ग्राम कुनकुनी में 47 प्रतिशत परिवारों का मासिक आय रूपये 5000 से कम है। 28 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 5001 से 10000 तक के बीच में, 12.5 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 10001 से 20000 के बीच में है, 12.5 प्रतिशत परिवारों की मासिक आय रूपये 20001 से 40000 के बीच में है। अतः एक परिवार की औसत आय रूपये 10079 प्रत्येक माह है और परिवार की औसत खर्च रूपये 10000 प्रति माह है। कामगार व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक परिवार में औसतन 2 हैं।

परियोजना प्रभावित परिवारों की मासिक आय

क.संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	रूपये 5000 से नीचे	47
2	5001 से 10000	28
3	10001 से 20000	12.5
4	20001 से 40000	12.5
5	40000 से ऊपर	0.0

(ग) दुर्बल समूह

दुर्बल समूह नही है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका

भूमि उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। जीविका कृषि एवं मजदूरी पर आधारित है।

व्यवसाय के प्रकार – ग्राम कुनकुनी में व्यवसाय के विभिन्न प्रकारों तथा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया ताकि उसके आधार पर आय–अर्जन गतिविधियों का सृजन तथा प्लान किया जा सके जो कि एक अतिरिक्त एवं वैकल्पिक आय–अर्जन गतिविधि सिद्ध हो सके। दूसरा कि व्यवसाय के प्रकार की जानकारी से उस क्षेत्र की मूल आर्थिक कियाकलाप के बारें में जानकारी हासिल हो सके। सर्वे के अनुसार अधिकतम व्यक्ति बिजनेस कियाकलाप को अपना मुख्य व्यवसाय मानते हैं। कुल परियोजना प्रभावित परिवारों में 84 प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, 3 प्रतिशत व्यक्ति शासकीय नौकरी कर रहे हैं, स्व व्यवसाय में 6 प्रतिशत और अन्य 7 प्रतिशत व्यक्ति अन्य व्यवसायों में लगे हुए हैं। अतः इस तरह से हम देखते है कि दोनो दृश्टिकोणों से अधिकतम परियोजना प्रभावित व्यक्ति बिजनेंस कार्य में अपना योगदान अधिक दे रहे हैं।

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के व्यवसाय के प्रकार

क.संख्या	आय	प्रतिशत (%)
1	कृषि	84
2	व्यवसाय	6
3	शासकीय नौकरी	3
4	अन्य	7

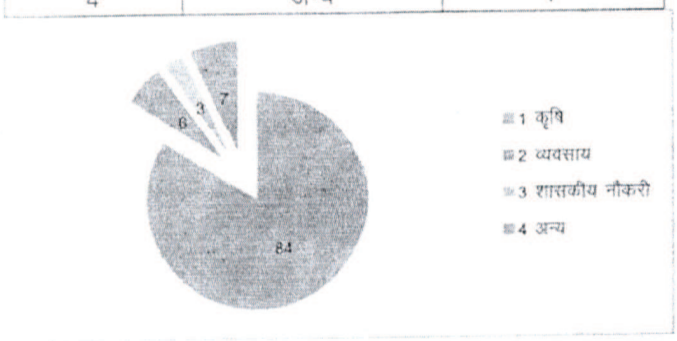

(ड.) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप

स्थानीय आर्थिक कियाकलाप मुख्यतः कृषि एवं मजदूरी है। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा तेंदुपत्ता का भी संग्रहण किया जाता है।

आर्थिक स्थिति – परियोजना प्रभावित परिवार की आर्थिक स्थिति उनकी व्यवसाय की जानकारी, उनके परिवार के आय की जानकारी, रोजगार की जानकारी, कामगारों की संख्या और निर्भर व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। व्यवसाय की जानकारी, परिवार के मुखिया के काम की जानकारी प्रदान करती है कि वह क्या काम करता है। परिवार की आय, कामगार व्यक्तियों के आय पर निर्भर करती है और कामगार व्यक्ति वे होंते हैं जो काम करते हैं और आय प्राप्त करते हैं तथा अपने परिवार का भरण–पोषण करते हैं जबकि निर्भर व्यक्तियों में पत्नी, बच्चे, बृद्ध व्यक्ति तथा दूसरे व्यक्ति जो काम नहीं करते और आय प्राप्त नहीं करते हैं।

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान

कृषि, मजदूरी एवं व्यवसाय है, भूमि अधिग्रहण उपरांत प्रावधानों के तहत संस्थान अपने उत्तरदायित्व का निवर्हन करेगा।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन

ग्राम सुरक्षा समिति एवं एक सांस्कृतिक संगठन

(ज) प्रशासनिक संगठन

नही है

(झ) राजनैतिक संगठन

पंजीकृत राजनैतिक संगठन नहीं है।

(ञ) समुदाय – आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन

नहीं है।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएं

रेल्वे परियोजना से प्रभावित ग्राम कुनकुनी में किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता है। किन्तु सामाजिक एवं शैक्षणिक परिवर्तन हुआ है । जैसे कि ग्राम में स्कूल भवन और सामुदायिक भवन, उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा पक्के रोड के माध्यम से जिला मुख्यालय के संपर्क में है। ग्राम कुनकुनी आधुनिक सुविधाएं जैसे कि इन्टरनेट, बिजली इत्यादि सुविधाओं से युक्त है।

(ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता

पर्यावरण की गुणवत्ता जैसे पानी, हवा एवं मृदा की स्थिति सामान्य हे।

सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढॉचा और दृष्टिकोण।

1. भूमि जीविका और आय पर समाघात –

(क) **रोजगार के स्तर और प्रकार** – परियोजना के आने के बाद स्थानीय रोजगार में वृध्दि होगी लोग कंपनी में सीधे तौर पर तथा संविदाकारों के अंदर नियोजित किए जा सकेंगे जो कि मजदूर के रूप में तथा योग्यतानुसार अच्छे पदों पर भी काम कर सकते हैं।

(ख) **अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके**– इस परियोजना के आने से घरेलू उद्योगों के विकास की संभावनाएं बढ जाती है सी.एस.आर. के माध्यम से विभिन्न स्व सहायता समूह अपने –अपने घरों में स्व रोजगार की शुरूआत कर सकते है जो एक आय–अर्जन का अच्छा साधन हो सकता है।

(ग) **आय के स्तर** – इस परियोजना के आने से आय के स्तर में बढ़ोतरी होगी। लोग तरह तरह के व्यवसायों की शुरूआत भी कर सकते है जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

(घ) **खाद्य सुरक्षा** – आय की वृध्दि होने से खाद्य सुरक्षा अपने आप बढ जाएगी।

(ड.) **जीवन निर्वाह के स्तर**– आय की वृध्दि होने से जीवन निर्वाह के स्तर अपने आप अच्छे हो जाते हैं अतः इस परियोजना से भी यहीं आशा और उम्मीद किया जा सकता है।

(च) **उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण**– आय वृध्दि होने से लोगों की आवश्यकताएं भी बढती जाती है और जिसके लिए उनमें उत्पादक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण बढ़ जाती है। इस परियोजना से भी ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है।

(छ) **जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच**– परियोजना के आने से जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुंच बढ़ जाएगी क्योंकि रोजगार के अवसरों में भी वृध्दि होगी ।

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात–

(क) **प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात** – ग्राम कुनकुनी में रेल्वे परियोजना से वहा के प्राकृतिक संसाधनों जैसे– मिट्टी, वायु, जल एवं वन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) **जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव** – जहां तक ग्राम कुनकुनी में भौतिक संसाधनों पर समाघात का प्रश्न है, जीविका के लिए वहां पर पर्याप्त भूमि हैं एवं वहा के सार्वजनिक संपत्तियों एवं प्राकृतिक संसाधनों पर इस परियोजना से किसी प्रकार का दबाव नही है।

तहसीलदार

3. **निजी संपत्तियों लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात –**

(क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता – विद्यमान स्वास्थ्य सेवा पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि परियोजना के सी.एस.आर. विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा सुविधाओं में बेहतरी की संभावना बढ जाती है।

(ख) गृह सुविधाओं की क्षमता– इस परियोजना से चूंकि लोगों के आय में वृध्दि होगी जिससे गृह सुविधाओं के उपयोग करने की क्षमता में भी बढोतरी होगी।

(ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव– स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा।

(घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली –

परियोजना के सी.एस.आर. विभाग के माध्यम से बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली के विकास हेतु आवश्यक प्रबंधन प्रणाली विकसित की जायेगी।

ग्राम कुनकुनी में 4.21 कि.मी. रेल्वे लाईन का निर्माण किया जायेगा तथा उक्त खण्ड में 12 नग विभिन्न साईजो के पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त रेल लाईन के दोनो तरफ ग्रामीणों के आवागमन हेतु कच्ची सड़क का निर्माण किया जायेगा, जिसके माध्यम से रेल निर्माण के पश्चात आवागमन की सुविधा में आई कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा। रेल लाईन नहर के सिंचित क्षेत्र से जा रही है। सिंचित क्षेत्र को यथावत रखने के लिये शासकीय नियमों का पालन किया जायेगा।

(ड.) निजी संपत्तियों जैसे– बोरवेल, इत्यादि पर समाघात – निजी संपत्तियों जैसे– बोरवेल, इत्यादि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा बल्कि सी.एस.आर. विभाग के द्वारा उनके मरम्मती एवं रख–रखाव का कार्य और अच्छी तरह से की जा सकती है।

4. स्वास्थ्य समाघात–

(क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से महिलाओं के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

(ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात – इस परियोजना से वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर भी किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पडेगा।

5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात–

(क) स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण– इस परियोजना से किसी प्रकार का स्थानीय राजनीतिक संरचना का रूपान्तरण नहीं होगा।

(ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन – इस परियोजना से किसी प्रकार का जनसांख्यिकी परिवर्तन नहीं होगा।

तहसीलदार, जिला रायपुर

(ग) **आर्थिक, पारिथिकी, संतुलन में परिवर्तन**– इस परियोजना के आने से गांव के लोग मुआवजे के राशि प्राप्त करते हैं साथ ही साथ योग्यतानुसार नौकरी भी प्राप्त करते है जिससे उनके आर्थिक जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, किन्तु पारिथिकी संतुलन में इस परियोजना से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

(घ) **मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात**– इस परियोजनाओं के आने से अलग–अलग सोच विचार के लोग एवं पढे–लिखे लोगों का प्रभाव उस क्षेत्र में बढता है जिसका सीधा प्रभाव वहां के गरीब व कम पढे–लिखे लोगों पर भी पडता है जैसे – उनके रहन–सहन में परिवर्तन आता है, उनके सोच में परिवर्तन आता है, और सांस्कृतिक रूप से और सुदृढ होते है।

(ड.) **अपराध एवं अवैध कियाकलाप** – रोजगार की कमी के कारण गांव में अपराध एवं अवैध कियाकलापों में वृध्दि होती है लेकिन परियोजनाओं के आने से रोजगार की संभावनाएं बढती है जिससे जुड़कर लोग अपने मन को विभिन्न तरह के कार्यो में लगाकर आय–अर्जन कर सकते हैं। इस तरह की संभावना कुनकुनी ग्राम में भी व्यक्त की जा सकती है।

(च) **विस्थापन का तनाव**– इस परियोजना से किसी प्रकार के विस्थापन के संभावना नहीं है अतः इसे विस्थापन का तनाव शून्य है।

(छ) **संयुक्त परिवारों के विखंडन का समाघात** – परियोजना के लिए जमीन बिकी या भू–अर्जन के वक्त खातों का विभाजन हो जाता है जिससे संयुक्त परिवारों में विखंडन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, किन्तु साथ–साथ उसके एवज में प्राप्त मुआवजे की राशि के सदुपयोग से उनके आर्थिक जीवन में सुधार भी आ जाती है। लोग अपने बच्चों के अच्छी शिक्षा दिलाने में समर्थ हो सकते हैं तथा अच्छे स्वास्थ्य लाभ की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अपने जीविका को और भी सरल बना सकते हैं।

6 **चकीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात**– यह चकीय परियोजना नहीं है अतः निम्नलिखित किसी भी चरणों पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पडेगा।

क) **पूर्व–सन्निर्माण चरण**– निर्माण अवधि कम होने एवं ग्राम के संपूर्ण रकबे मे से 11.61 एकड़ भूमि अर्जन किये जाने से सेवाओं को प्रदान कराने लाभकारी निर्देश एवं अनिश्चितता का दबाव कम से कम रहेगा।

ख) **सन्निर्माण चरण**– परियोजना के निर्माण मे अधिकतम उन्नत किस्म की मशीनरी का उपयोग होने से कम से कम संख्या मे मजदूरो का आगमन होगा। जिसके कारण प्रवासी सन्निर्माण कार्य शक्ति का आगमन न्यूनतम होगा।

तहसीलदार
जिला बागपत

ग) **प्रवर्तन चरण**--परियोजना निर्माण के बाद प्रवासी सन्निर्माण कार्य शक्ति का विस्थापन होगा। परन्तु स्थायी व्यक्तियो पर विपरीत प्रभाव कम होगा। वरन नई अधोसंरचना के निर्माण के फलस्वरूप उनके आर्थिक गतिविधियो मे वृद्धि होगी।

घ) **कार्य से हटाने वाला चरण**– यह परियोजना एक स्थायी परियोजना है इसे यहा से हटाया नही जावेगा।

ड) **प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात**-- परियोजना के निर्माण के लिए ग्राम की 11.61 एकड़ भूमि अर्जन किया जाएगा जो कि ग्राम के कुल रकबे का 2.01 % है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समाघात न्यूनतम होगा।

च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात) परियोजना के निर्माण से ग्राम कुनकुनी मे विस्थापन नही हो रहा, केवल 11.61 एकड़ कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। अन्य परियोजना के समाघात को मिलाने पर संचित समाघात का प्रभाव उपरोक्तानुसार न्यूनतम होगा।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का वितरण, जैसे– स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक परिवार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गो पर भेददर्शक समाघात और जहां लागू हो – आकलित समाघात।

प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघातों का आकलन किया गया तथा विभिन्न प्रकार के समाघातों का प्रभाव न्युनतम करने हेतु आवश्यक प्रावधान किये गये । परियोजना के कियान्वयन से परियोजना के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों से ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य, संस्कृति और सामाजिक संबंध तथा लिंग आधारित समाघात।

अधिग्रहण की जाने वाली भूमि, कृषि भूमि है, अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा दिये जाने के कारण जीविकापार्जन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रायोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहां शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकुल सामाजिक लागतों की व्याख्या समाधान, के बारे में अंतिम निश्कर्ष।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत प्रश्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से कंपनी को दिया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से लोक हित बावत है। रेल लाईन निर्माण हेतु आवश्यक भूमि ही लिया जाना है, प्रभावितो पुनर्वास की आवश्यकता नहीं है जनसुनवाई में सुनवाई पूर्ण की गई है उपस्थित कृषकों द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। परियोजना की लागत एवं कियान्वयन बावत जानकारी पृथक से संलग्न है।

(ख) उपरोक्त वि लेशण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जाएगा।

सामाजिक समाघात निर्धारण दल उपरोक्त आधार पर भू–अर्जन के लिये अग्रिम कार्यवाही किये जाने अनुशंसा करते हैं।

तहसीलदार
कलेक्टर, जिला दमोह (कलेक्टर)

सामाजिक समाघात प्रबंधन योजना

1. अधिग्रहण की जा रही भूमि का मुआवजा का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत किया जायेगा।

2. यह परियोजना रेखीय अधिग्रहणों की श्रेणी के अंतर्गत आती है जिसमें भूमि का एक छोटा भाग ही अधिग्रहण किया जाता है। प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण में किसी भी परिवार का पुनर्वासन की आवश्यकता नही है।

3. पर्यावरण संतुलन को बनाये रखने के लिए परियोजना द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा।

4. परियोजना के आने से प्रभावित गॉव एवं आसपास के लोगो की आर्थिक स्थिति में सुधार आयेगा।

5. महिला सशक्तिकरण के लिये स्व सहायता समूह का गठन किया जायेगा जिससे कि महिला अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकें।

6. प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा एवं रैखिक (Linear) अधिग्रहण होने के फलस्वरूप पर्यावरण संतुलन पर भी कोई विपरीत प्रभाव नही पड़ेगा।

7. ग्राम कुनकुनी में 4.21 कि.मी. रेल्वे लाईन का निर्माण किया जायेगा तथा उक्त खण्ड में 12 नग विभिन्न साईजो के पुल पुलियों का निर्माण किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त रेल लाईन के दोनो तरफ ग्रामीणों के आवागमन हेतु कच्ची सड़क का निर्माण किया जायेगा, जिसके माध्यम से रेल निर्माण के पश्चात आवागमन की सुविधा में आई कमी को पूरा किया जा सकेगा।

8. रेल लाईन नहर के सिंचित क्षेत्र से जा रही है। सिंचित क्षेत्र को यथावत रखने के लिये शासकीय नियमों का पालन किया जायेगा।

9. विशेषज्ञ समूहो द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण जनसुनवाई के दौरान मुआवजा के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

10. प्रभावित भूमि का विवरण । (सूची संलग्न)

11. प्रभावित खातेदारों के सहमति की सूची संलग्न ।

12. समाजिक समाघात संधारण जनसुनवाई दिनांक 05.01.2017 के दौरान प्रभावित परिवारों द्वारा प्राप्त समस्याओं एवं निराकरण :–

- प्रभावित भूमि स्वामियों द्वारा प्रति एकड़ 50 लाख मुआवजे की मांग की गई जिसे भू–अर्जन अधिकारी द्वारा शासन के भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत मुआवजा का निर्धारण करने की जानकारी दी गई।

- भूमि विस्थापितों द्वारा परियोजना के आने से अधोसंरचना में क्या विकास होगा की जानकारी चाही गई जिसमें विशेषज्ञ समूहों द्वारा बताया गया कि गॉव की सड़क एवं अन्य अधोसंरचना के लिये सी.एस.आर. के मद से प्रबंधन द्वारा विकास कार्य करने हेतु आश्वस्त किया गया।

कलेक्टर
जिला पंचायत (कबीरधाम)

- भूमि विस्थापितों द्वारा पुनर्वास लाभ के सम्बन्ध में जानकारी चाही गई जिसके परिपालन में पुनर्वास विषेषज्ञ द्वारा छत्तीसगढ़ पुनर्वास पुनर्वास्थापन नीति के तहत लाभ दिये जाने की जानकारी दी गई।

विशेषज्ञ समूहो द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण का मूल्यांकन रिपोर्ट सौपते हुए भू–अर्जन की अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अनुषंसा की जाती है ।

सामाजिक समाघात सदस्यों का नाम व हस्ताक्षर

(1) श्री आर.एल.शर्मा
अनुविभागीय अधिकारी (जिला परियोजना)
सर्वेक्षण उपसंभाग कमांक–1 रायगढ़

(2) श्रीमती सुशीला गोयल, प्राध्यापक (समाज शास्त्र),
महात्मा गांधी शासकीय महाविद्यालय तहसील खरसिया

(3) श्री एस.डी.साय
अनुविभागीय अधिकारी (लो.नि.वि.) उप संभाग खरसिया

(4) श्रीमती अवन्ति गुप्ता
तहसीलदार (राजस्व), खरसिया

(1) श्रीमती मीनाक्षी राठौर (सदस्य)
जिला पंचायत सदस्य खरसिया क्षेत्र क.15

(2) श्री छेदु राम राठिया (अध्यक्ष)
जनपत पंचायत खरसिया

प्रभावित भूमि का विवरण					
कमाक	खसरा नं.	स्थित भूमि		प्रस्तावित	
		रकबा एकड़ मे	रकबा हेक्टेयर मे	रकबा एकड़ मे	रकबा हेक्टेयर मे
1	90/1	0.53	0.215	0.20	0.081
2	109	3.00	1.214	0.10	0.040
3	116/1	0.12	0.048	0.12	0.048
4	116/2	0.35	0.142	0.35	0.142
5	116/3	0.60	0.242	0.60	0.242
6	124	0.31	0.125	0.20	0.081
7	142/1	0.28	0.113	0.28	0.113
8	142/2	0.10	0.040	0.10	0.040
9	147/1	0.48	0.195	0.14	0.057
10	147/2	0.32	0.129	0.07	0.028
11	147/3	0.30	0.121	0.30	0.121
12	148/2	1.27	0.514	0.10	0.040
13	152/1	0.03	0.012	0.03	0.012
14	152/3	0.25	0.101	0.25	0.101
15	152/4	0.25	0.101	0.25	0.101
16	152/5	0.45	0.183	0.07	0.028
17	176/1	1.15	0.466	0.10	0.040
18	186/1	1.20	0.486	0.20	0.081
19	188	1.37	0.555	0.50	0.202
20	189/2	1.19	0.482	0.30	0.121
21	203/1 क	0.30	0.122	0.22	0.089
22	203/1 ख	0.30	0.122	0.30	0.122
23	203/1 घ	0.22	0.089	0.21	0.085
24	203/3	1.50	0.607	0.20	0.081
25	203/5	1.40	0.567	0.35	0.142
26	203/6	0.70	0.283	0.25	0.101
27	217/4	0.88	0.356	0.62	0.251
28	287/2	1.13	0.458	0.14	0.057
29	303/3	0.33	0.134	0.10	0.040
30	303/4	0.78	0.316	0.45	0.182
31	304/1	0.40	0.162	0.20	0.081
32	304/5	0.32	0.129	0.20	0.081
33	359	0.80	0.324	0.50	0.202
34	400/3	1.27	0.515	0.55	0.223
35	401	1.26	0.510	0.10	0.040
36	403/1	0.64	0.271	0.40	0.162
37	404/6	0.84	0.340	0.20	0.081
38	571/1	1.88	0.761	0.30	0.121
39	574/2	0.27	0.108	0.03	0.012
40	575/2	0.47	0.189	0.09	0.036
41	584	0.82	0.332	0.57	0.231
42	585, 586/2/3	0.38	0.154	0.38	0.154

ए.एल.चौहान
ग.नि.-खरसिया, तह. -खरसिया
जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

कमाक	खसरा नं.	स्थित भूमि		प्रस्तावित	
		रकबा एकड़ मे	रकबा हेक्टेयर मे	रकबा एकड़ मे	रकबा हेक्टेयर मे
43	737/2	0.35	0.142	0.06	0.024
44	740	0.56	0.227	0.06	0.024
45	743	0.73	0.295	0.20	0.081
46	771/1	1.65	0.667	0.12	0.049
47	772/3	0.40	0.162	0.20	0.081
48	776/1	0.38	0.154	0.07	0.028
49	776/3	0.44	0.177	0.18	0.073
50	(585,586/2)/1	0.10	0.040	0.10	0.040
	योग	**35.05**	**14.196**	**11.61**	**4.698**

BY SPEED POST

J-13012/79/2008-IA.II (T)
Government of India
Ministry of Environment & Forests

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodi Road
New Delhi-110 003
Dated: September 16th, 2010.

To

M/s D.B. Power Ltd.
G-3A/4-6, Kamanwala Chambers
New Udyog Mandir -2
Moghul Lane, Mahim (West)
Mumbai – 400 016

Sub: **2x600 MW Coal Based Thermal Power Plant at Village Badadarha, in Dabhra Taluk, in Janjgir-Champa Distt., in Chhattisgarh - reg. Environmental Clearance.**

Sir,

The undersigned is directed to refer to letter dated 09.11.2009 on the subject mentioned above. The Ministry of Environment & Forests has examined the application.

2. The Ministry of Environment and Forests has examined the application. It has been noted that the proposal is for setting up of 2x600 MW Coal Based TPP at Village Badadarha, in Dabhra Taluk, in Janjgir-Champa Distt., in Chhattisgarh. Land requirement will be 630 acres (including ash pond and reservoir) which comprises of 402 acres of single crop agricultural land and 228 acres of wasteland. The co-ordinates of the site will be at Latitude $21^0$55'5.87" N to $21^0$54.7'7.92" N and Longitude 83^{011}'25.8" E to $83^0$11'12.84" E. The site has average altitude of 231.5 m above MSL. No relocation of homestead land will be involved. 39 land oustees will be involved. Coal requirement will be 6.33 MTPA, which will be sourced from Durgapur II/Sariya Coal Block in Raigarh Mand, long term coal linkage from SECL and long term tapering coal linkage from MCL. Ash and Sulphur contents in coal will be 45% and 0.53 % respectively. A bi-flue stack of 275 m will be installed. Water requirement of about 40 MCM/annum will be obtained from Mahanadi River, for which allocation of water requirement has been obtained. The source of intake will be at 23 km from the site and water will be conveyed through underground pipeline. There are no national parks, wildlife sanctuaries, heritage sites, tiger / biosphere reserves etc. within 10 km of the site. Public hearing was conducted on 30.06.2009. Cost of the project will be Rs 6533.0 Crores.

3. The project has been considered in accordance with the provisions of the EIA notification issued by the Ministry of Environment & Forests vide S.O. 1533 (E), dated September 14, 2006.

4. Based on the information submitted by you, as at Para 2.0 above and others, the Ministry of Environment and Forests hereby accords environmental clearance to the above project under the provisions of EIA Notification dated September 14, 2006, subject to the compliance of the following Specific and General conditions:

A. **Specific Conditions:**

(i) Vision document specifying prospective plan for the site shall be formulated and submitted to the Ministry **within six months.**

(ii) Sulphur and ash contents in the coal to be used in the project shall not exceed 0.5 % and 34 % respectively at any given time. In case of variation of coal quality at any point of time fresh reference shall be made to MOEF for suitable amendments to environmental clearance condition wherever necessary.

(iii) A bi-flue stack of 275 m height shall be provided with continuous online monitoring equipments for SO_x, NO_x and Particulate Matter. Exit velocity of flue gases shall not be less than 22 m/sec. Mercury emissions from stack may also monitored on periodic basis.

(iv) Source sustainability study of water requirement shall be carried out by an institute of repute. The study shall also specify the source of water for meeting the requirement during lean season. The report shall be submitted to the Regional Office of the Ministry **within six** months.

(v) Hydro geological study of the area shall be reviewed annually and report submitted to the Ministry.

(vi) No ground water shall be extracted for use in operation of the power plant even in lean season. COC of 5.0 shall be adopted.

(vii) No water bodies including natural drainage system in the area shall be disturbed due to activities associated with the setting up / operation of the power plant. Minimum required environmental flow suggested by the Competent Authority of the State Govt. shall be maintained in the Channel/ Rivers (as applicable) even in lean season.

(viii) Local employable youth shall be trained in skills relevant to the project for eventual employment in the project itself. The action taken report and details thereof to this effect shall be submitted to the Regional Office of the Ministry and the State Govt. Dept. concerned from time to time.

(ix) Additional soil for leveling of the proposed site shall be generated within the sites (to the extent possible) so that natural drainage system of the area is protected and improved.

(x) Provision for installation of FGD shall be provided for future use. High Efficiency Electrostatic Precipitators (ESPs) shall be installed to ensure that particulate emission does not exceed 50 mg/Nm^3. Adequate dust extraction system such as cyclones/ bag filters and water spray system in dusty areas such as in coal handling and ash handling points, transfer areas and other vulnerable dusty areas shall be provided.

(xi) Utilisation of 100% Fly Ash generated shall be made from **4**th year of operation of the plant. Status of implementation shall be reported to the Regional Office of the Ministry from time to time. Fly ash shall be collected in dry form and storage facility (silos) shall be provided. Unutilized fly ash shall be disposed off in the ash pond in the form of slurry form. Mercury and other heavy metals (As,Hg, Cr, Pb etc.) will be monitored in the bottom ash as also in the effluents emanating from the existing ash pond. No ash shall be disposed off in low lying area.

(xii) Ash pond shall be lined with HDPE/LDPE lining or any other suitable impermeable media such that no leachate takes place at any point of time. Adequate safety measures shall also be implemented to protect the ash dyke from getting breached. For disposal of Bottom Ash in abandoned mines (if proposed to be undertaken) it shall be ensured that the bottom and sides of the mined out areas are adequately lined with clay before Bottom Ash is filled up. The project proponent shall inform the State Pollution Control Board well in advance before undertaking the activity.

(xiii) Green Belt consisting of 3 tiers of plantations of native species around plant and at least 100 m width shall be raised. Wherever 100 m width is not feasible a 50 m width shall be raised and adequate justification shall be submitted to the Ministry. Tree density shall not less than 2500 per ha with survival rate not less than 75 %.

(xiv) Two nearest village shall be adopted and basic amenities like development of roads, drinking water supply, primary health centre, primary school etc shall be developed in co-ordination with the district administration. For the tribal families (if any) affected directly or indirectly by the proposed project, specific schemes for upliftment of their sustainable livelihood shall be prepared with time bound implementation and in-built monitoring programme. The status of implementation shall be submitted to the Regional Office of the Ministry from time to time.

(xv) An action plan for R&R (as applicable) with package for the project affected persons be submitted and implemented as per prevalent R&R policy within three months form the date of issue of this letter.

(xvi) An amount of Rs 26.0 Crores shall be earmarked as one time capital cost for CSR programme. Subsequently a recurring expenditure of Rs 5.20 Crores per annum shall be earmarked as recurring expenditure for CSR activities. Details of the activities to be undertaken shall be submitted within one month along with road map for implementation.

(xvii) While identifying CSR programme the company shall conduct need based assessment for the nearby villages to study economic measures with action plan which can help in upliftment of poor section of society. Income generating projects consistent with the traditional skills of the people besides development of fodder farm, fruit bearing orchards, vocational training etc. can form a part of such programme. Company shall provide separate budget for community development activities and income generating programmes. This will be in addition to vocational training for individuals imparted to take up self employment and jobs.

(xviii) It shall be ensured that in-built monitoring mechanism for the schemes identified is in place and annual social audit shall be got done from the nearest government institute of repute in the region. The project proponent shall also submit the status of implementation of the scheme from time to time

B. **General Conditions:**

(i) The treated effluents conforming to the prescribed standards only shall be re-circulated and reused within the plant. There shall be no discharge outside the plant boundary except during monsoon. Arrangements shall be made that effluents and storm water do not get mixed.

(ii) A sewage treatment plant shall be provided (as applicable) and the treated sewage shall be used for raising greenbelt/plantation.

(iii) Rainwater harvesting should be adopted. Central Groundwater Authority/ Board shall be consulted for finalization of appropriate rainwater harvesting technology within a period of three months from the date of clearance and details shall be furnished.

(iv) Adequate safety measures shall be provided in the plant area to check/minimize spontaneous fires in coal yard, especially during summer season. Copy of these measures with full details along with location plant layout shall be submitted to the Ministry as well as to the Regional Office of the Ministry.